



भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(एक मिनीरल कम्पनी)

(कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अंग)

परियोजना पदाधिकारी का कार्यालय राजापुर परियोजना/साउथ झरिया

संदर्भ सं०: भाकोकोलि/ब०क्षे०/आर०ओ०सी०पी०/2024/703 (H). दिनांक- 10/11.12.2024

सेवा में,

श्री संजय कुमार सिंह,

सामान्य मजदूर, कर्मी सं०-61315258.

आर०ओ०सी०पी०/सा०झ० ।

विषय:- द्वितीय सह अंतिम कारण बताओ सूचना ।

महाशय,

आपका नियोजन जमीन के बदले हुई है। आपके द्वारा प्रस्तुत जमीन एल०ए० नं०-43/1984-85 एवं एल०ए० नं०-36/1987-88, प्लॉट नं०-62 (पी), 63,64,65 (पी) दोबारी का है जो कि केस नं०-56 वर्ष 2011, विजय बहादुर सिंह एवं अन्य बनाम भोलाराम दत्ता एवं अन्य में एल०ए० जज के द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया है जो इस प्रकार है :-

"The case of applicants stands dismissed on contest. The L.A. Reference case is decided in favour of Opp. party no.8. The award no 9(1) and 10 is accordingly modified holding opposite party no.8. Budhan Dutta is a sole claimant in the awards. O.C. is directed to prepare decree and deposit the record in record room after Legal formalities." (संपूर्ण जजमेंट कि प्रति कार्यालय में संग्रहित है) उपरोक्त के आधार पर आपने जमीन में बदले प्रबंधन से जो नियोजन प्राप्त किये हैं वो न्यायसंगत नहीं है।

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक- 562 (एच) दिनांक-09/12.10.2023 के द्वारा कारण बताओ सूचना एवं पत्रांक-77(इ) दिनांक-02.02.2024 के द्वारा अभियोग पत्र निर्गत किया गया। आपने उक्त अभियोग पत्र का जबाव दिया गया जो कि संतोषप्रद नहीं पाया गया। तदोपरांत आपके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू किया गया एवं जांचोपरांत कोर्ट जारी उपरोक्त वर्णित आदेश का ही पालन करने का निर्णय लिया गया। उक्त जारी आदेश के परिपालन के आलोक जमीन के बदले आपका नियोजन न्यायसंगत नहीं है।

नैसर्गिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एतद द्वारा इस कारण बताओं नोटिस के माध्यम से आपको ये बताने का अवसर दिया जाता है कि कंपनी की सेवा से आपको क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया जाय।

अतः आपसे आग्रह है कि आप अपनी पक्ष में यदी कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो पन्द्रह दिनों के अंदर आप अपने उपर लगे आरोपों का लिखित स्पष्टीकरण दें। निर्धारित समय पर जबाव नहीं देने पर समझा जायगा कि आपको सफाई में कुछ नहीं कहना है, तब प्रबंधन आपको बिना कोई सूचना दिये कंपनी के कर्मचारीयों पर लागू प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है।

ह०/- परियोजना पदाधिकारी,
राजापुर परियोजना/साउथ झरिया।

प्रभात खबर, धनबाद - 13/02/2025

संदर्भ सं.भाकोकोलि/ब.क्षे./आर.ओ.सी.पी/2024/703 (H)

दिनांक-10/11.12.2024

सेवा में,

श्री संजय कुमार सिंह,

सामान्य मजदूर, कर्मी सं.-61315258

आर.ओ.सी.पी./सा.झ.।

विषय :-द्वितीय सह अंतिम कारण बताओ सूचना।

महाशय,

आपका नियोजन जमीन के बदले हुई है। आपके द्वारा प्रस्तुत जमीन एल.ए. नं.-43/1984-85 एवं एल.ए. नं.-36/1987-88, प्लॉट नं.-62(पी),63,64,65 (पी) दोबारी का है जो कि केस नं.-56 वर्ष 2011, विजय बहादुर सिंह एवं अन्य बनाम भोलाराम दत्ता एवं अन्य में एल.ए. जज के द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया है जो इस प्रकार है :-

"The case of applicants stands dismissed on contest. The L.A. Reference case is decided in favour of Opp. party no. 8. The award no 9(1) and 10 is accordingly modified holding opposite party no. 8. Budhan Dutta is a sole claimant in the awards. O.C. is directed to prepare decree and deposit the record in record room after Legal formalities."

(संपूर्ण जजमेंट कि प्रति कार्यालय में संग्रहित है) उपरोक्त के आधार पर आपने जमीन में बदले प्रबंधन से जो नियोजन प्राप्त किये है वो न्यायसंगत नहीं है।

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक-562 (एच) दिनांक-09/12.10.2023 के द्वारा कारण बताओ सूचना एवं पत्रांक-77(इ) दिनांक-02.02.2024 के द्वारा अभियोग पत्र निर्गत किया गया। आपने उक्त अभियोग पत्र का जबाव दिया गया जो कि संतोषप्रद नहीं पाया गया। तदोपरांत आपके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू किया गया एवं जांचोपरांत कोर्ट जारी उपरोक्त वर्णित आदेश का ही पालन करने का निर्णय लिया गया। उक्त जारी आदेश के परिपालन के आलोक जमीन के बदले आपका नियोजन न्यायसंगत नहीं है।

नैसर्गिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एतद द्वारा इस कारण बताओं नोटिस के माध्यम से आपको ये बताने का अवसर दिया जाता है कि कंपनी की सेवा से आपको क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया जाय।

अतः आपसे आग्रह है कि आप अपनी पक्ष में यदी कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो पन्द्रह दिनों के अंदर आप अपने उपर लगे आरोपों का लिखित स्पष्टीकरण दें। निर्धारित समय पर जबाव नहीं देने पर समझा जायगा कि आपको सफाई में कुछ नहीं कहना है, तब प्रबंधन आपको बिना कोई सूचना दिये कंपनी के कर्मचारियों पर लागू प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुसार आगे की कार्यवाई के लिए स्वतंत्र है।

ह./- परियोजना पदाधिकारी,
राजापुर परियोजना/साउथ झरिया।

विहार ऑफिस, धनबाद - 13/02/2025